



प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 15 सितम्बर, 2026

विषय:- भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ में 1250 कि०वा० ट्रांसफर्मे, 750 कि०वा० डी०जी० सेट व अन्य संबंधित कार्य कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ के आपको सम्बोधित पत्र संख्या- 551/प्रेक्षागृहों का जीर्णोद्धार/ 1525 (ii)/2026, दिनांक 29 जुलाई, 2026 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या- 22175/चार-2026/2079601 दिनांक 07 सितम्बर, 2026 द्वारा भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ में 1250 कि०वा० ट्रांसफर्मे, 750 कि०वा० डी०जी० सेट की स्थापना एवं अन्य संबंधित कार्य कराये जाने हेतु कार्यदायी संस्था- कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन रू० 137.90 लाख पर स्क्रीनिंग कमेटी की दिनांक 03.09.2026 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ में 1250 कि०वा० ट्रांसफर्मे, 750 कि०वा० डी०जी० सेट की स्थापना एवं अन्य संबंधित कार्य कराये जाने हेतु **रू० 137.90 (रूपये एक करोड़ सैंतीस लाख नब्बे हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रश्नगत मद में उपलब्ध धनराशि **रू० 110.00 लाख (रूपये एक करोड़ दस लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

शर्तें / प्रतिबंध:-

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) संस्कृति निदेशालय / भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (3) वित्त विभाग के शासनादेश सं०-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जायेगा। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

- (4) संस्कृति निदेशालय/ भारतेन्दु नाट्य अकादमी द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
 - (5) यह अनिवार्य रूप में सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानीटरिंग भी की जायेगी।
 - (6) प्रायोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
 - (7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व भारतेन्दु नाट्य अकादमी /संस्कृति निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
 - (8) प्रश्रुत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।
 - (9) प्रस्तावित धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों के अधीन एवं व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (10) संस्कृति निदेशालय/ भारतेन्दु नाट्य अकादमी/ कार्यदायी संस्था द्वारा सेन्टेज चार्ज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से संबंधित वित्तीय प्रबंधन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या- 02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
 - (11) प्रश्रुत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी/ कार्यदायी संस्था का होगा।
 - (12) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।
 - (13) संस्कृति निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था सी0 एंड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र आदि संस्कृति विभाग, उ0 प्र0 शासन, संस्कृति निदेशालय तथा भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ को उपलब्ध कराया जायेगा।
 - (14) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 1,10,00,000.00 (रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 092 लेखा शीर्षक 4202048001800 भारतेन्दु नाट्य अकादमी के प्रेक्षागृहों का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2025, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3. निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ०प्र० शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।